

विधान सभा प्रश्न

| | |
|------------------------|---|
| विभाग का नाम | उच्चतर शिक्षा |
| प्रश्न संख्या तारांकित | 4569 |
| उत्तर की तिथि: | 07-03-2022 |
| विषय | एन0सी0सी0 अकैडमी व राज्य एन0डी0आर0एफ0 बटालियन |
| प्रश्नकर्ता का नाम | श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) |
| संबंधित मंत्री | शिक्षा मंत्री। |

| प्रश्न | उत्तर |
|---|-------------------------------|
| क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत एन0सी0सी0 अकैडमी व राज्य एन0 डी0 आर0 एफ0 बटालियन को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ; इनके भवन निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ किया जाएगा तथा इनके लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है; इनके निर्माण के लिए क्या औपचारिकताएं शेष रहती हैं ; ब्यौरा दें ? | सूचना सभा पटल पर रख दी गई है। |

तारांकित विधान सभा प्रश्न संख्या: 4569 जो कि श्री इन्द्र सिंह (बल्ह) द्वारा एन० सी० सी० एकेडमी व राज्य एन०डी०आर०एफ० बटालियन बारे पूछा है, के बारे में विभागीय उत्तर:

जी हां।

यह सत्य है कि बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गांव खयूरी में एन०सी०सी० एकेडमी तथा एन०डी०आर०एफ० बटालियन को स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

एन०सी०सी० एकेडमी के लिए कुल 43-09-05 बीघा भूमि प्रस्तावित है। जिसमें से मुहाल खयूर डोम/ 285, तहसील बल्ह, जिला मण्डी हि० प्र० में खसरा संख्या 238 और 329 पर स्थित 17-19-19 बीघा भूमि शिक्षा विभाग के नाम पर स्थानांतरित हो चुकी है और खसरा संख्या 323 में 25-09-06 बीघा वन भूमि को शिक्षा विभाग के नाम पर हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जारी है।

एन० सी० सी० अकेडमी के निर्माण हेतु ग्रुप कमाण्डर एन० सी० सी० हेड क्वार्टर शिमला से उचित मांग बारे प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया गया है, जिसके अनुसार रेखा चित्रांक व प्राक्कलन सरकारी कार्यकारी एजेंसी से तैयार करने के उपरान्त ही प्रशासनिक स्वीकृति व बजट की उपलब्धतानुसार निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

भारत सरकार ने वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश को बल्ह विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य में एक एन०डी०आर०एफ० बटालियन स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए गांव बैहना व कुम्मी में 67.5 हैक्टेयर सरकारी भूमि का चयन तीन जगहों पर किया गया है। एन०डी०आर०एफ० बटालियन को स्थापित करने के लिए सारा खर्चा भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है तथा इसके भवन निर्माण का कार्य भी केन्द्र सरकार के पक्ष में भूमि हस्तांतरण के पश्चात ही किया जाएगा।